


झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
अधिसूचना

राँची, दिनांक...15.5.17

13/वरीय विविध-04/2017 का0-.....6184.....झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में The Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा 36-AB के अन्तर्गत Adulterated Drugs or Spurious Drugs से सम्बन्धित धारा-13 के उपबंध (a) एवं (b), धारा 22 की उप धारा (03), धारा 27 के उपबंध (a) एवं (c), धारा 28, धारा 28A, 28B, धारा 30 की उप धारा (1) के उपबंध (b) एवं Adulterated Drugs or Spurious Drugs से सम्बन्धित अन्य दंडनीय अपराधों के विरुद्ध दर्ज वादों के विचारण हेतु झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 को एवं जहाँ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 नहीं है वहाँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


12.5.17
(उमेश चन्द्र सिन्हा)


सरकार के अवर सचिव।

जापांक-13/वरीय विविध-04/2017 का0-

6184

राँची, दिनांक...15.5.17

प्रतिलिपि-श्री चन्द्र भूषण प्रसाद, उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी ई-गजट, का0, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



12.5.17
सरकार के अवर सचिव।

जापांक-13/ वरीय विविध-04/2017 का0-

6184

/ राँची, दिनांक...15.5.17

प्रतिलिपि- राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झारखण्ड/प्रधान न्यायायुक्त, राँची एवं सभी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


12.5.17
सरकार के अवर सचिव।